ए.

नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला बनाम।

गुजरात राज्य

(2012 की आपराधिक अपील सं. 1179) 16 मार्च, 2023

बी.

[बी**.** आर**.** गवई**,** विक्रम नाथ और संजय करोल**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302/34 – शस्त्र अधिनियम, 1959-ss.25(1) ए, 27 (2)-अभियुक्त को बरी करना-अपीलार्थी पर पीडब्लू-3 के साथ नाला पर बैठे हुए पीड़ित-मृतक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था-प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप पत्र दायर किया गया और अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया-निचली अदालत ने एकमात्र चश्मदीद (पीडब्लू-3) की गवाही पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया-अपील पर कहा गयाःएकमात्र चश्मदीद गवाह के मामले में, गवाह को विश्वसनीय, भरोसेमंद होना चाहिए, उसकी गवाही विश्वास के योग्य होनी चाहिए और उचित संदेह और अप्राकृतिक आचरण और अस्पष्ट परिस्थितियों से परे साबित हुआ मामला गवाह को अविश्वास करने का आधार हो सकता है-यह संख्या नहीं है बल्कि गवाहों और साक्ष्य की गुणवत्ता है जो अभियोजन पक्ष के मामले को बना या तोड़ सकती है-यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह गवाहों की गवाही पर भरोसा करना चाहता है जो उत्कृष्ट गुणवत्ता की है, यानी पूरी तरह से भरोसेमंद और किसी भी प्रकार के दोष से पूरी तरह से मुक्त है-इसके अलावा, यह सच है कि नीचे दिए गए न्यायालयों के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए-हालांकि, तत्काल मामले में, गवाह की गवाही में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।संदेह, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपराधिक न्यायशास्त्र में सबूत का विकल्प नहीं है।केवल ऐसा साक्ष्य ही स्वीकार्य और स्वीकार्य है जो कानून के अनुसार अनुज्ञेय है। एकमात्र चश्मदीद गवाह के मामले में, गवाह को विश्वसनीय, भरोसेमंद होना चाहिए, उसकी गवाही विश्वास के योग्य होनी चाहिए और मामला उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए।अप्राकृतिक आचरण और ए

जी.

एच.

746

747

नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला बनाम गुजरात राज्य ए.

अस्पष्टीकृत परिस्थितियाँ गवाह पर अविश्वास करने का आधार हो सकती हैं।**[**पैरा **8] [750-**एच**; 751-**ए-बी**]**

2. पीडब्लू**-3** और गवाह की गवाही को जो अविश्वसनीय बनाता है, वह यह है कि उसने पुलिस मुख्यालय के घटना स्थल के करीब होने की बात स्वीकार की और यह जानने के बावजूद कि पुलिस हमेशा गेट पर तैनात रहती है, वह पुलिस से संपर्क नहीं करता था।प्रस्तुत स्पष्टीकरण केवल यह है कि वह "बहुत डर गया था", जो विवेकपूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है, यह देखते हुए कि वह मृतक का करीबी दोस्त था।इसके अलावा, उनकी गवाही के प्रतिपरीक्षा भाग में उनके श्रेय पर महाभियोग चलाया जाता है।गवाह एक वयस्क, परिपक्व और सांसारिक बुद्धिमान होता है।वह **24** साल का है और किराने की दुकान चलाता है।वह अनपढ़ नहीं है, फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, यहां तक कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए भी।उनका यह स्पष्टीकरण कि वह घर गए और सो गए, आत्मविश्वास से परे है क्योंकि यह घटना उनकी उपस्थिति में और बस्ती के करीब हुई थी, विशेष रूप से पुलिस मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर यानी सिर्फ **3** से **4** मिनट की पैदल दूरी पर, जहां सिपाही चौबीसों घंटे तैनात होते हैं।उसने अपने दोस्त को मौके पर खून से लथपथ छोड़ दिया, लेकिन कोई मदद नहीं मांगी और तुरंत मृतक के परिवार के सदस्यों को घटना की सूचना नहीं दी।**[**पैरा **9] [752-**सी**-**जी**]**

बी.

सी.

डी.

3. इस न्यायालय ने कई मौकों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि यह मात्रा नहीं बल्कि गवाहों और साक्ष्य की गुणवत्ता है जो अभियोजन पक्ष के मामले को बना या तोड़ सकती है। अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह साबित करे कि गवाहों की गवाही, जिन पर वह भरोसा करना चाहता है, उत्कृष्ट गुणवत्ता की है, यानी पूरी तरह से भरोसेमंद और किसी भी प्रकार के दोष से पूरी तरह से मुक्त है।**[**पैरा **10] [752-**एच**; 753-**ए**]**

ई.

एफ.

4. अभियुक्त को मृतक की हत्या से जोड़ने वाले किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में, पीडब्लू**-3** की गवाही को खारिज कर दिया गया है, कोई अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजनक साक्ष्य नहीं है, जो अभियुक्त को जोड़ता है, चाहे वह उद्देश्य या घटना के बिंदु पर हो।इसी पृष्ठभूमि में यह पाया गया है कि निचली अदालतों ने गंभीर गलती की है।इस न्यायालय द्वारा परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के तय किए गए सिद्धांत

जी.

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1984) 4** एससीसी

एच.

116, निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है।यह सच है कि नीचे दिए गए न्यायालयों के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।हालाँकि, यह केवल असाधारण परिस्थितियों की उपस्थिति में है, यह न्यायालय अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है जहाँ न्याय का उपहास होता है और जब नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा बेतुके और गलत निष्कर्ष निकाले जाते हैं।यह एक ऐसा मामला है जो संविधान के अनुच्छेद **136** के तहत कर्तव्य के रूप में हमें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है।**[**पारस **16,17] [754-**डी**-**जी**]**

बी.

जग्गा सिंह बनाम पंजाब राज्य **1994** पूरक **(3)** एस**.** सी**.** सी**. 463;** अनिल फूकन बनाम असम राज्य **(1993) 3** एस**.** सी**.** सी**. 282:[1993] 2** एस**.** सी**.** आर**. 389;** अमर सिंह बनाम राज्य **(**एन**.** सी**.** टी**.** दिल्ली**) (2020) 19** एस**.** सी**.** सी**. 165;** अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2022) 9** एस**.** सी**.** सी**. 402;** प्रमीला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। **(2021) 12** एससीसी **550;** कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य

सी.

(2011) 7 एससीसी 130:[2011] 8 एस. सी. आर. 774 कर्तारे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1976) 1 एस. सी. सी. 172:[1976] 2 एससीआर 199; ईश्वर

सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1976) 4 एस. सी. सी. 355:चौधरी रामजीभाई नरसंगभाई बनाम गुजरात राज्य (2004) 1

डी.

एससीसी 184:[2003] 5 पूरक।एससीआर 390; शरद

बर्डीहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1984) 4**

एससीसी 116:[1985] 1 एस. सी. आर. 88; रामफुपाला रेड्डी बनाम.

आंध्र प्रदेश राज्य (1970) 3 एस. सी. सी. 474; बालक राम

ई.

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 219:[1975] 1 1 एससीआर

753; भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य **(1983) 3**

एससीसी **217:[1983] 3** एस**.** सी**.** आर**. 280-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[1993] 2 एससीआर **389**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2011] 8 एससीआर **774**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[1976] 2 एससीआर **199**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

[2003] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 390** पैरा **15 [1985] 1** एस**.** सी**.** आर**. 88** को संदर्भित करता है।

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[1975] 1 1 एससीआर **753**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

[1983] 3 एससीआर **280**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17** ए

एच.

749

नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला बनाम गुजरात राज्य ए.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2012 की आपराधिक अपील सं. 1179।

2003 के सी. आर. एल. ए. सं. 1037 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 29.12.2011 के निर्णय और आदेश से।

ए. सिराजुद्दीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती रेवती राघवन, अशोक कुमार, संचित वशिष्ठ, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी.

सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय करोल**,** जे।

सी.

1. एल. डी. द्वारा पारित 19.07.2003 दिनांकित निर्णय के माध्यम से। एडल्ट।2002 के सत्र मामला संख्या 27 में गुजरात के सुरेंद्रनगर में फास्ट ट्रैक अदालत के सत्र न्यायाधीश, अपीलार्थी नरेंद्रसिंह केशुभा जाला को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 272 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) ए और धारा 27 (2) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता

की धारा302 के तहत अपराध के संबंध में, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। 500 और इसकी चूक में, एक महीने के लिए एक अतिरिक्त सजा।इसी बात की पुष्टि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के माध्यम से की है।

डी.

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला इस प्रकार है:14.1.2002 पर लगभग 2 बजे:30 एएम पुलिस ने राम नाम के एक व्यक्ति की हत्या के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की। यह शिकायत मृतक के पिता श्री महिपाल के. जडेजा (पीडब्लू-1) के कहने पर जनवरी, 2002 की रात में दर्ज की गई थी। शिकायत में वादी ने कहा है कि लगभग 11 बजे:00 मुन्ना भाई उर्फ कृपाल रजनीकांत (पीडब्लू-6) के रूप में जाना जाने वाला एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर उनके आवास पर आया था और उन्हें बताया था कि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है और उसे ऑटोरिक्शा में एमजी अस्पताल ले जाया जा रहा है।वादी इस व्यक्ति के साथ अस्पताल पहुंचा जहाँ उसने अपने बेटे का शव स्ट्रेचर पर पड़ा देखा।बाईं भौंह पर एक कट था और गर्दन के दाहिने हिस्से में बहुत खून बह रहा था।पूछताछ करने पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि पीड़ित की मौत आग की गोली लगने से हुई है।उल्लेखनीय है कि उसी दिन लगभग 02 बजे दर्ज की गई शिकायत में:15 एएम वह बताता है कि, उसका बेटा रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से निकला था।इसके अलावा, "मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे बेटे की हत्या कैसे और किसने की।" और यह कि "उसके बेटे की कोई दुश्मनी नहीं थी जो किसी को भी मारने के लिए प्रेरित करती थी।"

ई.

एफ.

जी.

एच.

अनुसंधान 3 अनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान फअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान ईअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान रअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान जअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान नअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ाअनुसंधान थअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान

ईअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान ओअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान भअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान बअनुसंधान ेअनुसंधान पअनुसंधान ाअनुसंधान सअनुसंधान ाअनुसंधान हअनुसंधान ेअनुसंधान बअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान मअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान (अनुसंधान पअनुसंधान ीअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान डअनुसंधान बअनुसंधान ्अनुसंधान लअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ूअनुसंधान .अनुसंधान अनुसंधान -अनुसंधान 20) जिससे पता चला कि 13.1.2002 पर लगभग 9 बजेः30 प्रधानमंत्री, जब मृतक और निरव बिपिनभाई पटेल (पीडब्लू-3) सर्किट हाउस के पास नाला पर बैठे थे, तो आरोपी नरेंद्र और पीछे बैठे शैलेंद्र मोटरसाइकिल पर आए और एक संक्षिप्त बातचीत के बाद, आरोपी नरेंद्र जाला (इसमें अपीलकर्ता) ने मृतक को बंदूक से गोली मार दी, जो उसके प्रकटीकरण बयान के अनुसार पाया गया।अनुसंधान पूरा होने के बाद, चालान केवल आरोपी नरेंद्र जाला के खिलाफ मुकदमे के लिए अदालत में पेश किया गया था।

बी.

4. एल. डी. निचली अदालत ने आरोपी को इस आधार पर दोषी ठहराया कि घटना का गवाह निरव बिपिनभाई पटेल (पीडब्लू-3) था, जिसकी गवाही, एकमात्र चश्मदीद गवाह होने के नाते, इस हद तक भरोसेमंद और विश्वसनीय थी कि इसका मकसद था, जो कि धन विवाद था जिसे मृतक को आरोपी के पास वापस करना था।पुलिस ने अपीलार्थीगण के प्रकटीकरण बयान के अनुसार अपराध का हथियार बरामद किया।

सी.

5. उच्च न्यायालय ने एल. डी. के फैसले को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर कि अभियोजन पक्ष की कहानी विश्वसनीय और विश्वास के योग्य थी।अभिप्रेरणा साबित नहीं होने पर भी, अर्थात मृतक पर अपीलार्थी का धन बकाया है या नहीं, एकमात्र चश्मदीद गवाह (पीडब्लू-3) की गवाही, विश्वास के योग्य, अभियोजन पक्ष द्वारा निर्धारित हत्या के मामले के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

डी.

ई.

6. हमने दोनों पक्षों के लिए विद्वान परामर्शों को विस्तार से सुना है।कुछ तथ्य विवादित नहीं हैंः

(क) मृतक की पहचान और गोली लगने से हुई मौत; (ख) डॉ. रविभाई मकवाना (पीडब्लू) द्वारा किया गया पोस्टमॉर्टम।5) जिन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार की (उदा. पी. 36) इस तथ्य का प्रमाण देते हुए कि मृतक की गर्दन के मांसपेशियों के ऊतकों से 60 धातु के छर्रों को बरामद किया गया था; (सी) मृत्यु का कारण आग्नेयास्त्र के उपयोग के अनुसार गर्दन के दाहिने हिस्से में चोट के कारण रक्तस्राव होना; (डी) अभियोजन पक्ष का मामला भौतिक गवाहों की

गवाही पर निर्भर करता है, अर्थात। पीडब्लू-3 एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, जो मृतक का दोस्त था और पीडब्लू-1 जो मृतक का पिता है।

एफ.

जी.

7. इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में यह मामला मुख्य रूप से पूरी तरह से पीडब्लू-3 की गवाही पर आधारित है, जो दोषों से भरा है, विश्वास में बिल्कुल प्रेरणादायक नहीं है और गवाह ने सच्चाई को अपदस्थ नहीं किया है।8. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह सबूत की जगह नहीं ले सकता है।संदेह, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, आपराधिक ए में सबूत का विकल्प नहीं है।

एच.

751

नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला बनाम गुजरात राज्य [संजय करोल, जे.] ए.

न्यायशास्त्र [जग्गा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1994 सप्लीमेंट (3) एससीसी

463].केवल ऐसा साक्ष्य ही स्वीकार्य और स्वीकार्य है जो कानून के अनुसार अनुज्ञेय है। एकमात्र चश्मदीद गवाह के मामले में, गवाह को विश्वसनीय, भरोसेमंद होना चाहिए, उसकी गवाही विश्वास के योग्य होनी चाहिए और मामला उचित संदेह से परे साबित होना चाहिए। अप्राकृतिक आचरण और अस्पष्ट परिस्थितियाँ गवाह पर अविश्वास करने का आधार हो सकती हैं।यह न्यायालय

बी.

अनिल फूकन बनाम असम राज्य (1993) 3 एस. सी. सी. 282 के मामले में

मान लिया किः“3. ... जब तक एकल प्रत्यक्षदर्शी पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह है, अदालतों को केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि करने में कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि, जहां एकल चश्मदीद गवाह पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह नहीं पाया जाता है, इस अर्थ में कि कुछ परिस्थितियां हैं जो दिखा सकती हैं कि अभियोजन पक्ष में उसकी रुचि हो सकती है, तो अदालतें आम तौर पर दोषसिद्धि दर्ज करने से पहले उसकी गवाही की कुछ स्वतंत्र पुष्टि करने पर जोर देती हैं।यह तभी होता है जब अदालतों को पता चलता है कि एकल चश्मदीद गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह है कि उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है और कोई भी पुष्टि उस दोष को ठीक नहीं कर सकती है।

सी.

डी.

यही सिद्धांत निम्न में प्रतिपादित किया गया है:अमर सिंह बनाम राज्य

(दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2020) 19 एस. सी. सी. 165।

ई.

9. तत्काल मामले में जब हम पीडब्लू-3 की गवाही की जांच करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसने उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को उसे अपदस्थ कर दिया था।13.1.2002, रात करीब 11 बजे वह और मृतक दोनों सुरेंद्रनगर में सर्किट हाउस के पास एक नाले पर बैठे थे।उस समय, आरोपी शैलेंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ आया और गाली देने के बाद चाहता था कि राम (मृतक) बताए कि वह उसके द्वारा उधार लिए गए पैसे कब वापस करेगा।जब मृतक जवाब देने के लिए खड़ा हुआ, तो नरेंद्र ने एक पिस्तौल निकाली और उसे गर्दन पर रखने के बाद कहा, "आपको खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।" इसके बाद आरोपी ने पिस्तौल से गोली चला दी।नतीजतन, मृतक जमीन पर गिर गया और गर्दन से बहुत खून बहने लगा।नरेंद्र जाला और शैलेंद्र तुरंत सरदार सोसायटी की ओर चले गए।पीडब्लू-3 का कहना है कि इस घटना ने उन्हें स्तब्ध और स्तब्ध कर दिया।वह इतना डर गया कि वह सोसाइटी की ओर भागा जहां वह अपने चाचा हर्षद वेलजिभाई (पीडब्लू-9) और अपने दोस्त मनीष नटवरलाल त्रिवेदी (पीडब्लू-8) से मिला, जिन्हें उसने घटना की जानकारी दी।उसकी हालत देखकर उसके चाचा ने उसे घर जाकर सोने के लिए कहा।अगली सुबह वह राम के घर गया और अपनी मां और बहन को घटना के बारे में बताया।

एफ.

जी.

एच.

हीनाबा प्रदीपसिंह जाला (पीडब्लू-2)।इसके बाद वह अस्पताल गया और राम के पिता (पीडब्लू-1) को घटना की जानकारी दी।पुलिस ने उससे विभिन्न स्थानों पर पूछताछ की और 14 जनवरी को लगभग 4 बजे उसका बयान दर्ज किया:30 पुलिस मुख्यालय में प्रधानमंत्री। उसकी गवाही के प्रतिपरीक्षा भाग से पता चलता है कि इस गवाह ने बार-बार अपने प्रारंभिक बयान में सुधार किया है, जिसका खुलासा पुलिस को किया गया है।सचित्र रूप से उन्होंने मृतक की बहन को घटना के बारे में बताने के लिए पुलिस को सूचित नहीं किया था।उसने

पुलिस को यह भी नहीं बताया था कि मृतक द्वारा आरोपी को दिए गए कुछ पैसे के संबंध में राम और नरेंद्र (अपीलकर्ता) के बीच बातचीत हुई थी।हो सकता है कि इससे उनके बयान की सच्चाई पर कोई प्रभाव न पड़े।लेकिन जो बात उसकी गवाही और गवाह को अविश्वसनीय बनाती है, वह यह है कि उसने स्वीकार किया कि पुलिस मुख्यालय घटना स्थल के करीब है और यह जानने के बावजूद कि पुलिस हमेशा गेट पर तैनात रहती है, वह पुलिस से संपर्क नहीं करता था।प्रस्तुत स्पष्टीकरण केवल यह है कि वह "बहुत डर गया था", जो विवेकपूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है, यह देखते हुए कि वह मृतक का करीबी दोस्त था।

बी.

सी.

डी.

इसके अलावा, उनकी गवाही के प्रतिपरीक्षा भाग में उनके श्रेय पर महाभियोग चलाया जाता है।गवाह एक वयस्क, परिपक्व और सांसारिक बुद्धिमान होता है।वह 24 साल का है और किराने की दुकान चलाता है।वह अनपढ़ नहीं है, फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया, यहां तक कि अपने दोस्त की जान बचाने के लिए भी।उनका यह स्पष्टीकरण कि वह घर गए और सो गए, आत्मविश्वास से परे है क्योंकि यह घटना उनकी उपस्थिति में और बस्ती के करीब हुई थी, विशेष रूप से पुलिस मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर यानी सिर्फ 3 से 4 मिनट की पैदल दूरी पर, जहां सिपाही चौबीसों घंटे तैनात होते हैं।उसने अपने दोस्त को मौके पर खून से लथपथ छोड़ दिया, लेकिन कोई मदद नहीं मांगी और तुरंत मृतक के परिवार के सदस्यों को घटना की सूचना नहीं दी, जिनके घर वह अगले दिन लगभग 8 बजे आया था:00 – 9:00AM.His सोने के लिए जाने का आचरण, अपने दोस्त को उसकी आंखों के सामने हत्या होते हुए देखना और फिर तुरंत अस्पताल नहीं जाना काफी अप्राकृतिक है।साथ ही उसने अपने माता-पिता को घटना की जानकारी नहीं दी।जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने आरोपी का नाम लिया।उनकी गवाही अलंकरण से मुक्त नहीं है, न ही किसी अन्य साक्ष्य से इसकी पुष्टि होती है।इसके अलावा, वह स्वीकार करता है कि आरोपी और मृतक के बीच किसी भी मौद्रिक लेनदेन की कोई जानकारी नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

10. इस न्यायालय ने कई मौकों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि यह संख्या नहीं बल्कि गवाहों और साक्ष्य की गुणवत्ता है जो या तो ए बना सकती है।

एच.

या अभियोजन पक्ष के मामले को तोड़ दें।अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह यह साबित करे कि गवाहों की गवाही जिन पर वह भरोसा करना चाहता है, वे उत्कृष्ट गुणवत्ता की हैं, यानी पूरी तरह से भरोसेमंद और किसी भी तरह के साक्ष्य से पूरी तरह से मुक्त हैं।

एक तरह का धब्बा।**[** प्रह्लाद बनाम एम**.** पी**.** राज्य **(**ऊपर**);** अमरीक सिंह बनाम पंजाब राज्य**, (2022) 9** एस**.** सी**.** सी**. 402;** प्रमीला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। **, (2021) 12** एससीसी **550;** कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य**, (2011) 7** एससीसी **130]**

बी.

11. एक स्वतंत्र गवाह, मुन्ना भाई उर्फ कृपाल रजनीकांत (पीडब्लू-6) की गवाही की जांच करते हुए, हम पाते हैं कि वह वही है जिसने सबसे पहले मृतक (पीडब्लू-1) के पिता को अपने बेटे की चोटों के बारे में सूचित किया और ऐसी स्थिति में एमजी अस्पताल ले जाया गया। उनके बयान के अनुसार, किसी लड़ाई की आवाज़ सुनकर वह मौके पर पहुंचे और मृतक को सड़क पर खून से लथपथ पड़ा देखा।उसके पूछने पर, एक ऑटोरिक्शा चालक उसे किराया देने का वादा करके अस्पताल ले गया।यह व्यक्ति कौन है?वह स्वयं मृतक को अस्पताल क्यों नहीं ले गया?यह सब अभी भी अस्पष्ट है।आखिरकार, वह उसे जानता था और उसने मृतक के पिता को सूचित कर दिया था।क्या यह है कि वह खुद एक संदिग्ध था?महत्वपूर्ण रूप से, गवाह स्वीकार करता है कि उसने बंदूक की गोली की आवाज नहीं सुनी है।वह यह कहते हुए खुद का खंडन करता है कि उसने पुलिस को केवल 15.05.2002 पर घटना की सूचना दी थी।वह ऑटोरिक्शा चालक की पहचान नहीं करता है और उससे परिचित भी नहीं था।उल्लेखनीय है कि अदालत में ऑटोरिक्शा चालक से पूछताछ नहीं की गई है।

सी.

डी.

ई.

12. जब हम वादी (पीडब्लू-1) की गवाही की जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि उसने गवाही दी है कि लगभग 11 बजे, मुन्ना भाई उर्फ कृपाल रजनीकांत (पीडब्लू-6) नाम का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आया और बताया कि गंभीर रूप से घायल राम को एक ऑटोरिक्शा में एमजी अस्पताल ले जाया गया था।वह तुरंत अस्पताल पहुंचा और पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई।यह इस गवाह का मामला है कि निरव (पीडब्लू-3) लगभग 9 बजे अस्पताल में उससे मिला था:30 एएम और उस समय उन्हें घटना की जानकारी दी गई। यह गवाह अपनी पत्नी या बेटी (पीडब्लू-2) को घटना के प्रकटीकरण के बारे में निरव (पीडब्लू-3) की गवाही की पुष्टि नहीं करता है।इसके अलावा, अगर आरोपी की पहचान पिता

(पीडब्लू-1) और निरव (पीडब्लू-3) दोनों को पता थी तो ऐसा क्यों है कि आरोपी को शामिल करने वाला बयान केवल 4 पर दर्ज किया गया थाः30 शाम को पीएम?समय महत्वपूर्ण है, अधिक तब जब निरव (पीडब्लू -3)पुलिस ने खुद से दो अलग-अलग स्थानों पर पूछताछ की, जो 6 बजे तक जारी रहीः3014.01.2002 की शाम का पीएम।

एफ.

जी.

एच.

754

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

13. हर्षदभाई वेलजिभाई पटेल (पीडब्लू -9), हम देखते हैं कि उसने अभियोजन पक्ष का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है और उसकी गवाही के प्रतिपरीक्षा भाग में, हमें अपराध में आरोपी का कुछ भी पता नहीं चलता है।

14. हम देख सकते हैं कि अभियुक्त के इकबालिया बयान को छोड़कर, अभियोजन पक्ष हथियार को अभियुक्त के साथ जोड़ने में सक्षम नहीं है।मृतक के शरीर पर कोई वैज्ञानिक प्रमाण, या उसकी उंगलियों के निशान, अन्य पहचान के निशान या खून के कोई संकेत नहीं थे, जो इसे अनुसंधान के दौरान बरामद हथियार से चलाई गई गोली के धातु के छर्रों से जोड़ते थे।

बी.

15. इस न्यायालय ने लगातार कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपराध करने में पाए गए हथियार के उपयोग को स्थापित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है।ऐसा करने में विफलता न्याय के मार्ग में विचलन का कारण बन सकती है।[कतरि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1976)

सी.

1 एस. सी. सी. 172; ईश्वर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। , (1976) 4 एस. सी. सी. 355; चौधरी रामजीभाई नरसंगभाई बनाम गुजरात राज्य, (2004) 1 एस. सी. सी. 184; अमर सिंह का मामला (सुप्रा)]

डी.

16. अभियुक्त को मृतक की हत्या से जोड़ने वाले किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में, पीडब्लू-3 की गवाही को खारिज कर दिया गया है, कोई अन्य प्रत्यक्ष या परिस्थितिजनक साक्ष्य नहीं है, जो अभियुक्त को जोड़ता है, चाहे वह उद्देश्य या घटना के बिंदु पर हो।इसी पृष्ठभूमि में हम पाते हैं कि निचली अदालतों ने गंभीर गलती की है।परिस्थितिजनक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के तय किए गए सिद्धांत,

ई.

इस न्यायालय द्वारा शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में

(1984) 4 एस. सी. सी. 116 का निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पालन नहीं किया गया है।
17. यह सच है कि नीचे दिए गए न्यायालयों के तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।हालाँकि, यह केवल असाधारण परिस्थितियों की उपस्थिति में है, यह न्यायालय अपनी व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है जहाँ न्याय का उपहास होता है और जब नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा बेतुके और गलत निष्कर्ष निकाले जाते हैं।हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला है जो संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है।

एफ.

जी.

में -रामफुपाला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1970) 3 एस. सी. सी. 474; बालक राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। , (1975) 3 एस. सी. सी. 219; भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम गुजरात राज्य, (1983) 3 एस. सी. सी. 217।

18. हम यह दर्ज कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को ए के तहत हत्या का अपराध करने का दोषी पाते हुए गंभीर गलती की है।

एच.

भारतीय दंड संहिता की धारा 303।21 पृष्ठों वाले अपने निर्णय में, न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को केवल पुनः प्रस्तुत किया है और संभवतः, पीडब्लू-3 की गवाही की वास्तव में सराहना या चर्चा किए बिना, उसे उचित संदेह से परे, अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन मामले को पूरी तरह से स्थापित करते हुए, सच्चाई से अपदस्थ किया है।
19. दुर्भाग्य से, नीचे दिए गए किसी भी न्यायालय ने आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख नहीं किया है।हम यह भी कह सकते हैं कि अदालतों को भविष्य में ऐसी

गंभीर गलतियाँ करने से बचना चाहिए, जिससे निर्दोष लोगों को सबूतों की उचित सराहना के बिना लगभग दो दशकों की अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ता है।20. इसलिए, हम एल. डी. द्वारा पारित निर्णयों को दरकिनार करते हैं। एडल्ट।सत्र न्यायाधीश, सुरेंद्रनगर, गुजरात की त्वरित अदालत ने 2002 के सत्र मामले संख्या 27 में, जिसका शीर्षक था गुजरात राज्य सरकार बनाम नरेंद्रसिंह केशुभाई जाला, जैसा कि अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या, 2003 की 1037 में, जिसका शीर्षक था नरेंद्रसिंह केशुभा जाला बनाम गुजरात राज्य, के फैसले के माध्यम से पुष्टि की और आरोपी (अपीलकर्ता) को उसके खिलाफ बनाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।

बी.

सी.

डी.

वर्तमान अपील की अनुमति है।

हम अपीलार्थी को तत्काल रिहा करने का निर्देश देते हैं जब तक कि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो।

ई.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.